(243)

न्यायालय : माननीय राजस्व मंडल म0प्र0ग्वालियर सर्किटकोर्ट रीवा, म0प्र0

निगरानी प्र0क्र0/ /013

निग-4460-III-13

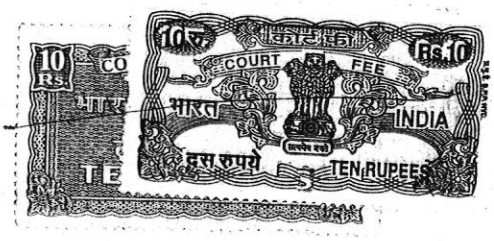

705
6.12.13

01- रामप्रतापसाकेत ⟩
02- बसन्तलाल साकेत ⟩ - पिता त्रिवेणीप्रसाद साकेत
03- रामप्रयाग साकेत ⟩
04- आनन्द बहादुर साकेत ⟩

सभी निवासीगण ग्राम बलभद्र गढ थाना व तहसीलहनुमना, जिला रीवा, म0प्र0.

----आवेदक/निगराकारगण

बनाम

01- शासन म0प्र0

02- श्रीलाला उर्फ रामपाल पिता गिरधारी ग्रामबलभद्रगढ, थाना व तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0.

03- दुलारे पिता मथुरा कहार ग्राम चोरहटा, थाना शाहपुर, तहसील हनुमना जिला रीवा, म0प्र0.

04- बेवा इन्द्रपती पति रामपती विश्वकर्मा

05- रमाशंकर ⟩
06- कामता ⟩ - पिता रामपती विश्वकर्मा निवासी ग्राम बलभद्रगढ थाना व तहसीलहनुमना, जिला रीवा, म0प्र .
07- हिन्छलाल ⟩
08- हेमलाल ⟩
09- श्यामलाल ⟩

10- रामाधार पिता शिवशंकर ब्रा0 निवासी ग्राम वामनगढ, तहसीलहनुमना जिला रीवा, म0प्र0.

----अना0/गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार वृत्त खटखरी, तह0 हनुमना जो राज0प्र0क्र0 1-अ-3/13-14

निरंतर....

मे दिनांक 28.10.013 को पारित किया गया ।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 1959ई0

मान्यवर,

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य यह है कि प्रकरण की प्रश्नगत भूमि का मूल खसरा नं0 344 है, जो वर्तमान मे कई बटा नम्बरो मे विभक्त है व आवेदक सहित अना0गणउक्त भूमि मे अपने अपने खसरे नम्बरो मे मालिक स्वामी है। जिस भूमि का संयुक्त नक्शा है, किंतु अना0क्0 2 लाला उर्फ रामलाल ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के फर्जी तरीके से राजस्व नक्शे मे 344/2-ग का मौके के कब्जे के विपरीतइन्द्राज करा दिया जिसकीजानकारी होने पर आवेदक ने तहसीलदार के न्यायालय मे उक्त फर्जी नक्शा इन्द्राजगी को सुधार करने का आवेदन दिया जिस पर नायवतहसीलदार द्वारा आवेदकका आवेदन निरस्तकर आलोच्यादेश पारितकिया गया जिसके विरूद्ध यह निगरानी नीचे लिखे अनुसार तर्कों के आधार पर प्रस्तुत है ।

01- यहकि अधीनस्थ न्यायालय काआलोच्यादेश विधि एवं प्रक्रियाके विपरीत होने से निरस्तगी योग्य है।

02- यहकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदकके आवेदन मे उठाये गये बिन्दुओ पर बिना कोई जॉच किए विपरीत प्रक्रिया अपनाते हुए आदेश पारितकिया है यदिआवेदक के आवेदनपर विचार कियाजाता व उस पर जॉच की जातीतोस्पष्ट होजाताकि जो भूमि ख0नं0 344/2-ग का नक्शा तरमीम किया गयाहै वह फर्जी तरमीमी कार्यवाही है क्योकि नक्शातरमीम किए जाने काकोई आदेश किसी सक्षम अधिकारी द्वारानहीदिया गयाहै उक्त बातो पर बिना विचार किए आलोच्यादेश पारितकरने मे अधीनस्थ न्यायालय ने महान् भूल की है ।

03- यहकि अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

मामला क्र0**R.4450–III** / 13 जिला–रीवा

रामप्रताप साकेत / शासन, लाला उर्फ रामपाल

(1)	(2)	(3)
23.08.17	1. प्रकरण प्रस्तुत। 2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। 3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा–35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। 4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। सदस्य	